ध्यान दें—सादगी के लिए क्रमशः CGST, SGST और IGST की दरों को 9%, 9% और 18% माना गया है।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित राजस्व का बयान

लेन–देन	केंद्र सरकार को राजस्व (₹)	राज्य 1 की सरकार को राजस्व (₹)	राज्य 2 की सरकार को राजस्व (₹)
X से A तक माल/सेवाओं की आपूर्ति	900	900	
A से B तक माल/सेवाओं की आपूर्ति	360		
राज्य 1 से केंद्र तक स्थानान्तरण	900	(900)	
B से C तक माल/सेवाओं की आपूर्ति			432
केंद्र से राज्य 2 तक स्थानान्तरण	(864)		864
कुल	1,296	शून्य	1,296

IX. GST आम पोर्टल (GST Common Portal)

- GST के पहले, चूंकि केंद्र और राज्य अप्रत्यक्ष कर प्रशासन विभिन्न कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रारूपों के तहत काम करते थे, उनके IT बुनियादी ढाँचे और सिस्टम भी एक–दूसरे से स्वतंत्र थे। GST कार्यान्वयन के लिए उन्हें एकीकृत करना जटिल था क्योंकि इसमें सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने की आवश्यकता थी ताकि सभी कर प्रशासकों (केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों) को समान परिपक्वता वाले आईटी परिपक्वता के समान स्तर पर लाया जाए और करदाताओं और अन्य बाहरी हितधारकों के साथ इंटरफेस किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, GST एक गंतव्य आधारित कर है, माल और सेवाओं के अंतर–राज्य व्यापार (IGST) को राज्यों और केंद्र के बीच एक मजबूत निपटान तंत्र की आवश्यकता है। एक आम पोर्टल की जरूरत थी जो क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य कर सके और सम्बन्धित सरकारों को फंड ट्रांसफर करने के लिए सूचित कर सके। यह केवल एक मजबूत IT प्रौद्योगिकी ढाँचे की मदद से ही संभव था।
- परिणामस्वरूप एक कॉमन जी.एस.टी. पोर्टल—www.gst.gov.in ऐसी वेबसाइट है जिसका प्रबन्धन Goods and Services Network (GSTN) द्वारा किया जाता है। यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कम्पनी है। जिसकी स्थापना सरकार द्वारा, करदाता और एक कॉमन और भागित मंच के रूप में संरचना केन्द्र एवं राज्यों के मध्य स्थापित की गयी है।
- GST पोर्टल पर इन्टनेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है (करदाता द्वारा अथवा उसके CA/ कर परामर्शकर्ता आदि) और इन्ट्रानेट कर अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह पोर्टल सभी GST सम्बन्धित सेवाओं के लिये उपलब्ध है।
- कॉमन GST प्रणाली द्वारा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वाणिज्यिक कर विभागों, केन्द्रीय कर अधिकारी, करदाता, बैंक और हितधारियों के अन्तर्सम्बन्ध

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्थापित करने में सहायक है आर्थिक प्रणाली में करदाता से प्रारम्भ करके कर पेशेवर और कर अधिकारियों बैंक, लेखांकन अधिकारियों और जी.एस.टी. पोर्टल तक हितधारियों में शामिल होते हैं।

- पंजीयन सुविधा प्रदायक; रिटर्न्स को केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भेजना; IGST की गणना और निपटारा; कर भुगतान विवरणों की बैंकिंग नेटवर्क से मिलान करना; करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिटर्न्स से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को विभिन्न MIS रिपोर्टस भेजना; करदाताओं की प्रोफाइल्स का विश्लेषण, इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैचिंग, रिवर्सल एवं रीक्लेम सम्बन्धी व्यवस्थापन करना।
- तथापि यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ई–वेबिल प्रस्तुत करने के लिये सामान्य GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल www.ewaybillgst.gov.in (राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित) है। ई–वे बिल GST पोर्टल पर उत्पन्न हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो माल की आवाजाही का प्रमाण है।

(x) GSPs/ASPs

- GSTN द्वारा कुछ सूचना तंत्र, सूचना तंत्राधारित सेवाएँ और तकनीकी कम्पनियों का चयन किया है, जिनसे GST सुविधा प्रदायक (GSPs) कहते हैं। GSPs द्वारा अनुप्रयोग का विकास करके करदाताओं द्वारा GSTN से सम्पर्क स्थापन में सुविधा प्रदान की जाती है।

GSPs/ASPs

© The Institute of Chartered Accountants of India

- इनके द्वारा कर दाताओं को बीजकों की अपलोडिंग और रिटर्न्स की प्रस्तुति में सुविधा प्रदायक की भूमिका निभाई जाती है और GST सम्बन्धी सेवाओं के लिये एकमात्र सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करते हैं।

GST सुविधा प्रदायक

- ये उत्पादों को आवश्यकतानुसार बनाकर विभिन्न उपभोक्ताओं वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। GSPs द्वारा एप्लीकेशन्स सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) की सहायता द्वारा करदाताओं और GSPs के मध्य सम्पर्क बनाया जा सकता है।

(xi) पारितोषिक उपकर (Compensation Cess) : निर्दिष्ट लक्जरी वस्तुओं या अवगुण माल, जैसे पान मसाला, तम्बाकू, वातित जल, मोटर कार आदि पर माल और सेवा कर उपकर अधिनियम, 2017 के तहत निर्दिष्ट दर पर एक GST पारितोषिक उपकर लगाया गया है। जिसकी गणना करयोग्य आपूर्ति के मूल्य पर की गयी है। GST के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिये राज्यों को पारितोषिक प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के बाहर आपूर्ति और अंतर राज्यीय आपूर्ति पर पारितोषिक उपकर लगाया जाता है।

(xiii) जीएसटी–वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर (GST-A Tax on goods and services) : मानव उपयोग के लिये मादक शराब तथा पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF और प्राकृतिक गैस को छोड़कर, GST सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है।

- **मानव उपभोग के लिये मादक शराब** (Alcoholic liquor for human consumption) : GST के दायरे से बाहर है। मादक शराब का निर्माण/उत्पादन राज्य उत्पाद शुल्क के अधीन जारी है तथा उसी की अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर बिक्री क्रमशः VAT/CST के अधीन है।

- **पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF तथा प्राकृतिक गैस** (Petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas): जैसा कि पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF तथा प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, वे वर्तमान में GST के लिये लागू नहीं है। GST परिषद् के अनुरोध पर अधिसूचित किये जाने की तिथि से इन उत्पादों पर GST लागू होगा।

  ऐसी तिथि तक, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF और प्राकृतिक गैस के निर्माण/उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू होता है तथा उसी के अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर बिक्री क्रमशः VAT/CST के अधीन है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **तम्बाकू** (Tobacco) : तम्बाकू GST के दायरे में है यानि तम्बाकू पर GST लागू है। हालांकि, संघ सरकार ने भारत में निर्मित तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति भी बरकरार रखी है। इसके परिणामस्वरूप, **तम्बाकू GST के साथ–साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन है।**
- इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, यानि अचल सम्पत्ति की बिक्री/खरीद पर GST लागू नहीं है।

GST में समाहित कर

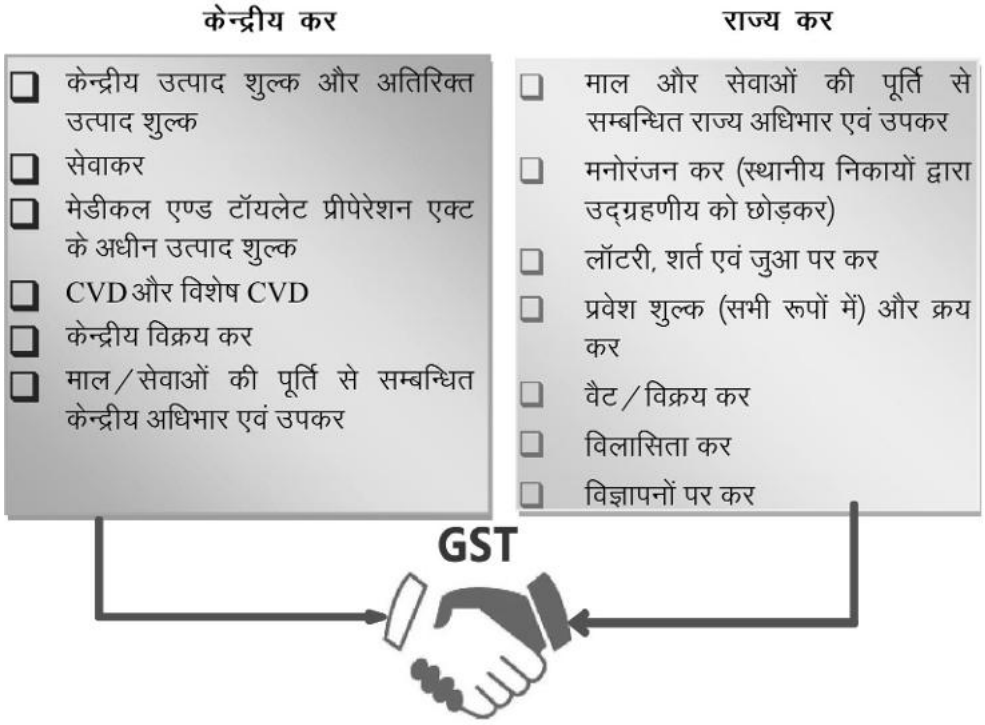

© The Institute of Chartered Accountants of India

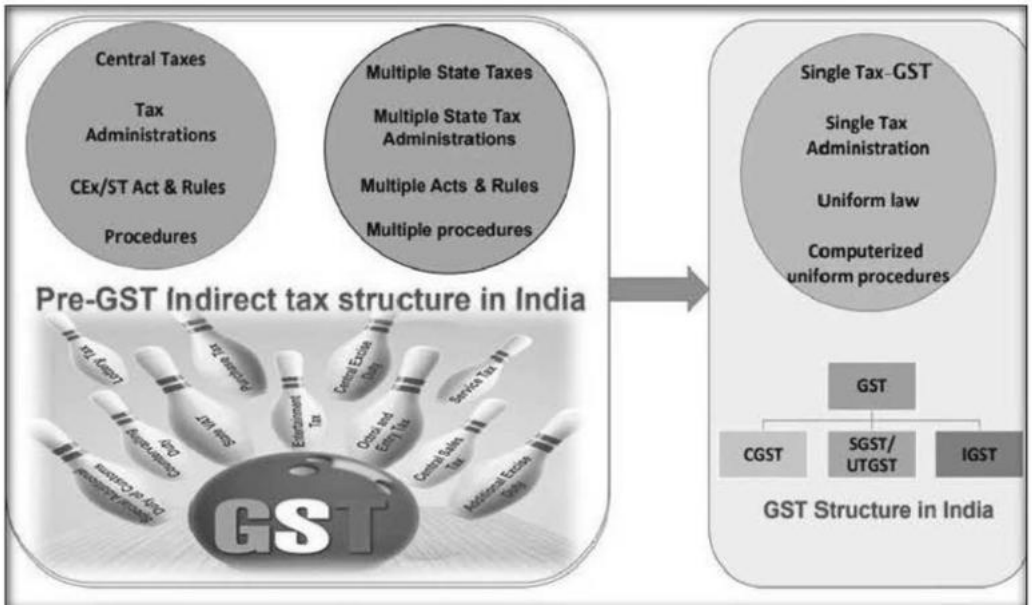

Within GST or outside GST?

	Alcohol for human consumption	Power to tax remains with the State
	Five petroleum products – crude oil, diesel, petrol, natural gas and ATF	GST Council to decide the date from which GST will be applicable
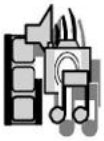	Entertainment tax levied by local bodies	Power to tax remains with the local bodies
	Tobacco	Within the purview of GST. Power to levy excise duties, also retained.

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. जी.एस.टी के लाभ (Benefits of GST)

सम्पूर्ण देश के लिये जी. एस. टी. एक लाभदायक स्थिति है। उद्योग, सरकार और उपभोक्ताओं सम्बन्धी हितधारियों के लिए यह लाभदायक है। इससे माल/सेवाओं की लागतें कम होंगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और माल/सेवाएं विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा स्थापित होगी।

जी.एस.टी. के प्रमुख लाभों की विवेचना यहाँ की जा रही है :

अर्थव्यवस्था के लाभ
(Benefits to Economy)

- **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन** (Creation of unified national market) : जी.एस.टी. का उद्देश्य भारत को ऐसा एक बाजार बनाना है जिसमें एक कर की दरें, प्रक्रियाएं हों और सभी आर्थिक बाधाएँ हट जाएँ, इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर समग्र अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके।

- **मेक इन इण्डिया** (Boost to `Make in India' initiative) : जी.एस.टी. द्वारा सरकारी 'मेक इन इण्डिया' योजना के क्रियान्वयन को बल प्राप्त होता है क्योंकि GST पश्चात भारतीय माल एवं सेवाएँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी सिद्ध हो सकेगी। यह भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में बनाएगा।

- **प्रेरित निवेश और रोजगार** (Enhanced investment and employment) : केंद्रीय बिक्री कर (CST) में मुख्य केंद्रीय और राज्य करों के समावेश से स्थानीय रूप से विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आती है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होती है और इस प्रकार निवेश और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलता है। निर्यात और विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि के साथ अधिक रोजगार सृजित किया जाता है और GDP बढ़ाया जाता है।

सरलीकृत कर संरचना
(Simplified Tax Structure)

- **व्यापार करने में आसानी**—GST के अधीन करों की बहुलता में कमी के साथ करों में कमी के साथ सरल कर व्यवस्था के सरलीकरण और एकरूपता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देशभर में कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों में समानता के कारण कारोबार आसान हो गया है।

- **कर प्रशासन में निश्चितता**—माल और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली भारत भर में कर प्रशासन में निश्चितता सुनिश्चित करती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आसान कर अनुपालन
(Easy Tax Compliance)

- **IT के अधिक उपयोग के साथ स्वचालित प्रक्रियाएँ**—पंजीकरण, प्रतिदाय, धन लौटाना, कर भुगतान जैसी विभिन्न, प्रक्रियाओं के लिए सरलीकृत और स्वचालित प्रक्रियाएँ हैं। सभी पारस्परिक क्रिया सामान्य GSTN पोर्टल के माध्यम से है, इसलिए करदाता और कर प्रशासन के बीच कम सार्वजनिक अंतराफलक है।

- **अनुपालन लागत में कमी**—GST के अन्तर्गत अनुपालन लागत कम होती है क्योंकि विभिन्न करों के लिए कई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती इसलिए रिकॉर्ड बनाए रखने में संसाधनों और जनशक्ति का कम निवेश होता है। अनुपालन लागत को कम करने में देश भर में कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरूपता काफी हद तक कारगर साबित होती है।

व्यापार और उद्योग के लिए फायदे
(Advantages for Trade and Industry)

- **कृषि और उद्योग को होने वाले लाभ**—GST ने उद्योग और व्यापार और कृषि को

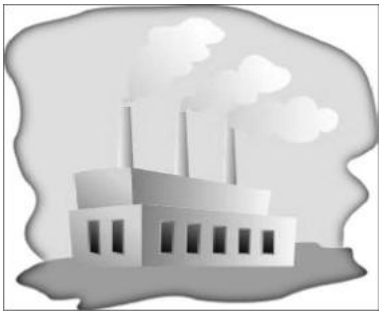

अधिक राहत दी है। सरकार ने इनपुट कर सेट–ऑफ और सर्विस टैक्स के कई केंद्रीय और राज्य करों को समाधान के द्वारा उद्योग, व्यापार और कृषि को अधिक राहत दी है। पारदर्शी तथा पूर्ण श्रृंखलन जिसके परिणामस्वरूप कर आधार का विस्तार होता है तथा कर की बेहतर सुविधाओं के कारण उद्योग, व्यापार तथा कृषि में एक औसत डीलर पर कर भार भी कम हो जाता है।

- **कैस्केडिंग के दुष्प्रभावों को कम करना**—अधिकांश केंद्रीय और राज्य कर को एकल कर में भरकर और सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में लेन–देन के लिए मूल मंच कर को बंद करके यह प्रवाही के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता करता है, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने तथा व्यवसाय की चलनिधि में सुधार लाने में मदद करता है।

- **छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लाभ**—GST ने छोटे व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण के लिए दहलीज बढ़ा दी है। पुनः एक राज्य में एकल पंजीकरण की

© The Institute of Chartered Accountants of India

आवश्यकता है। लघु व्यवसायों को भी रचना योजना का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है। पूरे देश में एक अबाध राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के साथ, लघु उद्यमों को अपने राष्ट्रीय पदचिन्ह बढ़ाने का अवसर न्यूनतम निवेश से मिला है।

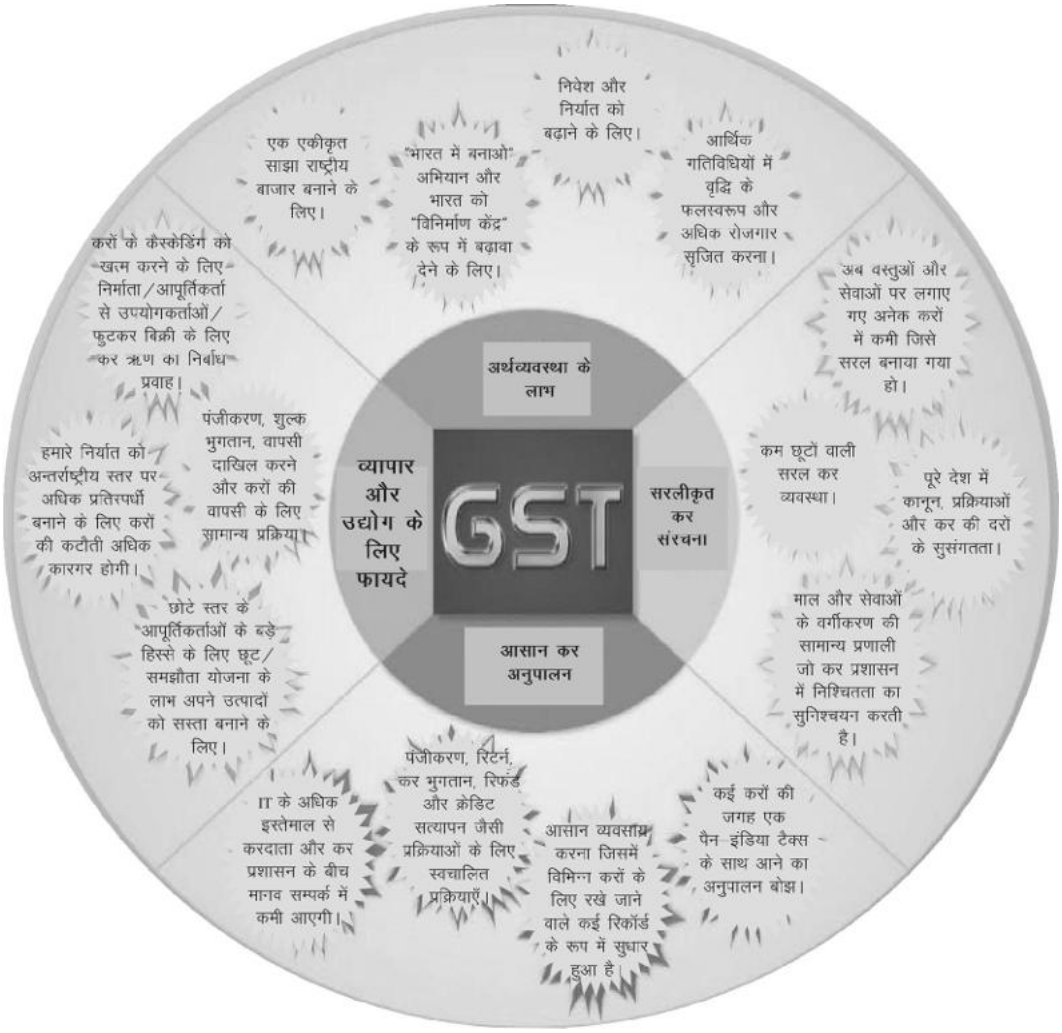

9. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

भारत में त्रिस्तरीय संघीय ढाँचा है, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें निहित हैं। कर एवं शुल्क के उदग्रहण की शक्तियाँ, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन त्रिस्तरीय सरकारों में बंटी हुई हैं।

भारतीय संविधान भारत में सर्वोच्च विधान है। इसमें 'प्रीऐम्बेल' के अनुसार 25 भाग हैं जिनमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की शक्तियाँ भारतीय संविधान से उदय होती हैं। किसी कर विधान की स्थिति में, चाहे यह अधिनियम हो, नियमावली हो, अधिसूचना या आदेश हो, यदि यह संविधान के सम्यक् नहीं हैं, वे असंवैधानिक होने के कारण अवैध एवं व्यर्थ होते हैं।

अतः भारत में आरोपित भिन्न करों के स्रोत समझने के लिए भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है।

कराधान सम्बन्धी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान निम्नांकित हैं :

I. **अनुच्छेद 265** (Article 265) : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 करों के विवेकाधीन संग्रहण को निषेध करता है इसमें कहा गया है कि "विधान द्वारा अधिकृत होने के अलावा किसी कर का उद्ग्रहण या संग्रहण नहीं किया जायेगा" इसका अर्थ है कि प्रस्तावित उद्ग्रहणीय कर करारोपणीय विधान की वैधानिक सामर्थ्य के अधीन अवश्य होना चाहिये।

II. **अनुच्छेद 245** (Article 245) : संविधान के भाग XI में केन्द्र एवं राज्य के सम्बन्धों के बारे में उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 245 के अधीन विधानों के लागू करने की शक्ति संसद और राज्य विधानमण्डल को प्रदत्त की गयी है। उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित है :

- संविधान के प्रावधानों के अधीन, सम्पूर्ण भारत अथवा उसके क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में विधान सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है और राज्य का विधानमण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में नियम बना सकता है।
- संसद द्वारा रचित कोई विधान इस आधार पर गैर–विधिमान्य नहीं माना जायेगा, कि इसकी क्षेत्र से बाहर सक्रियता रहेगी।

III. **अनुच्छेद 246** (Article 246) : इसके अधीन केन्द्र और राज्य सरकारों को कर उद्ग्रहण की शक्तियाँ क्रमशः प्रदान की गयी हैं। संसद सम्पूर्ण भारत अथवा उसके क्षेत्र के किसी भाग के लिये विधानों की रचना कर सकती है, जबकि राज्य विधानमण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये विधानों की रचना कर सकती है।

IV. **अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची** (Seventh Schedule to Article 246) : इसमें तीन सूचियाँ निहित हैं जिनमें उन विषयों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को विधान के बनाने के अधिकार प्राप्त हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

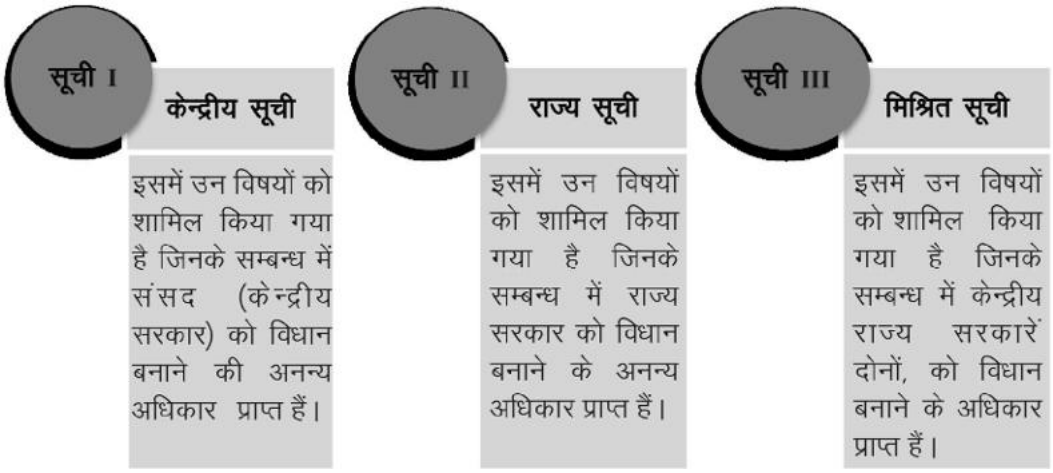

प्रथम सूची की 82 से 91 तक प्रविष्टियों में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार करारोपण का उद्ग्रहण कर सकती है। द्वितीय सूची की 45 से 63 तक प्रविष्टियों में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार को करारोपण करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद को अतिरिक्त शक्ति भी प्राप्त है जिसके अधीन भारत के किसी भाग के लिये नियम बना सकती है जो राज्य में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य सूची में शामिल हो। प्रविष्टि 82 के अधीन आयकर उद्गृहीत किया जाता है, जिसके अधीन कृषि आय को छोड़कर अन्य आयें करारोपित होती हैं और सीमा शुल्क का उद्ग्रहण प्रविष्टि 83 में उल्लिखित है, जिसमें केन्द्रीय सूची का निर्यात शुल्क भी शामिल है।

संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 संविधान के

अनुच्छेद 246 A के अधीन 'माल एवं सेवाकर' उद्ग्रहण की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, इसको संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के द्वारा लागू किया गया है। हमें सर्वप्रथम यह समझना चाहिये कि इस संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों उदय हुई है।

संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता
(Need for Constitutional Amendment)

विभिन्न करों के आरोपण की केन्द्र और राज्यों की शक्तियाँ संवैधानिक प्रावधानों में अब तक पृथक्–पृथक् उल्लिखित हैं। जिसके अधीन भारत में उत्पादित या निर्मित माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्गृहीत है। माल के निर्माण के पश्चात जब माल व्यापारिक प्रवाह में शामिल होता है उस पर राज्यों द्वारा वैट लगाया जाता है।

अन्तर्राज्यीय विक्रय की स्थिति में, केन्द्र को करारोपण की शक्ति है (केन्द्रीय विक्रय कर) परन्तु कर का संग्रहण और उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है। सेवाओं पर अनन्य रूप से केन्द्र द्वारा करारोपण किया जाता है। इससे अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अन्य विशिष्ट कर उद्ग्रहण हैं जैसे चुंगी, विलासिता कर, मनोरंजन कर, लॉटरी और शर्त कर और पंचायतों द्वारा लागू अन्य स्थानीय कर आदि।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विदेश से भारत में आयातित माल के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क के साथ लागू उपकर वसूल किये जा रहे हैं।

GST के प्रचलन के लिये संविधान में संशोधन आवश्यक था जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त शुल्कों सहित, राज्य वैट और कुछ राज्य विशिष्ट कर और सेवाकर को समाहित करके माल एवं सेवाकर और केन्द्र एवं राज्य दोनों को उद्ग्रहण एवं संग्रहण की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

परिणामतः संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 (आगे, संविधान संशोधन अधिनियम, के रूप में संदर्भित पारित किया गया। जी.एस.टी. काउंसिल के गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 279A के द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गयीं। अन्य प्रावधान 16.01.2016 से अधिसूचित किये गये थे।

संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान

संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किये गये प्रमुख संशोधनों की नीचे विवेचना की जा रही है :

V. अनुच्छेद 246 A : माल एवं सेवाकर सम्बन्धी विधान के लिए शक्ति

नवीन अनुच्छेद 246 A जोड़ा गया (Newly inserted Article 246A)

(1) अनुच्छेद 246 और 254 में उल्लिखित किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए, संसद और वाक्य (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल, को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह सेवा एवं माल कर पर विधान बना सकती है।

(2) संसद को माल और सेवाकर के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में, नियम बनाने की शक्ति है, जहाँ माल या सेवाओं की पूर्ति अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गयी है।

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद प्रावधान अनुच्छेद 279 A के वाक्य (5) में संदर्भित माल एवं सेवाकर उस तिथि से प्रभावी होगा जिसकी जी.एस.टी. परिषद् द्वारा संस्तुति की जाय।

- यह अनुच्छेद, केन्द्र राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है कि केन्द्र या ऐसे राज्य द्वारा आरोपित जी.एस.टी. के सम्बन्ध में विधान बनाए।
- माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्ति की स्थिति में केन्द्र को GST के सम्बन्ध में नियम बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान की है।
- तथापि, निम्नांकित माल के सम्बन्ध में, उपर्युक्त प्रावधान उस तिथि से प्रभावी होंगे जिसकी इस सम्बन्ध में जी.एस.टी. परिषद् द्वारा संस्तुति की जाय।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- अनुच्छेद 246 और 254 में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर अनुच्छेद 246 A लागू किया गया है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाये गये विधानों की सर्वोच्चता स्थापित की गयी है।

VI. अनुच्छेद 269 A : अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर GST का उद्ग्रहण और संग्रहण

- अनुच्छेद 269A में उल्लिखित है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल/सेवाओं की पूर्ति पर GST भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किया जायेगा और इसका केन्द्र और राज्य के मध्य वितरण उस रीति से किया जायेगा, जो जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर संसद द्वारा पारित विधान में उल्लिखित हो।

Article 269A

- उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत में माल या सेवा या दोनों के आयात को भी अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवाओं की पूर्ति माना जायेगा।
- इससे केन्द्रीय सरकार को आयात के लेन–देनों पर IGST आरोपित करने की शक्ति प्राप्त होगी, जो इससे पूर्व सीमा शुल्क टैरिफ, अधिनियम 1975 के अन्तर्गत काउन्टर वेलिंग ड्यूटी के अधीन करारोपणीय थी।
- यदि IGST के रूप में संगृहीत राशि का प्रयोग SGST के भुगतान में किया गया है और वाइस वर्सा, ऐसी राशि भारतीय निधि का भाग नहीं होगी यह केन्द्र एवं राज्य के मध्य कोष अन्तरण को सुविधाजनक बनायेगा।
- जब माल/सेवाओं की पूर्ति अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, ऐसी स्थिति में संसद को निर्धारित स्थान के अनुसार सम्बन्धित सिद्धान्त स्थापित कर सकती है।

VII. 'माल और सेवाकर', 'सेवाएँ' और 'राज्य' सम्बन्धी परिभाषाएँ जो अनुच्छेद 366 में उल्लिखित हैं

- 'माल एवं सेवाकर' 'सेवाएँ' और 'राज्य' शब्दावली अनुच्छेद 366 के सम्बन्धित वाक्यों में परिभाषित की गयी है :
  - **'माल एवं सेवाकर'** का आषय माल/सेवाओं की पूर्ति पर कर है, मानवीय उपयोग के लिये मादक शराब की पूर्ति पर करारोपण को छोड़कर, परिणामतः मानवीय उपयोग के लिये मादक शराब को छोड़कर अन्य माल/सेवाओं पर GST आरोपित किया जा सकता है।

    Article 366(12A)
  - **'सेवाओं'** का आशय माल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से है।

    Article 366(26A)
  - **राज्य'**, अनुच्छेद 246 A, 268, 269, 269 A और अनुच्छेद 279 A के संदर्भ में ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं जिनके अपने विधानमण्डल हैं।

    Article 366(26B)

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **"माल" की परिभाषा** : अनुच्छेद 366 के वाक्य (12) में माल शब्द को पहले भी परिभाषित किया जा चुका है, इसका आशय।
- "**माल में शामिल है सभी सामग्रियाँ, वस्तुएँ और पदार्थ**"

VIII. जी.एस.टी. परिषद् : अनुच्छेद 279 A

- संविधान के अनुच्छेद 279 A द्वारा भारत के राष्ट्रपति को केन्द्र एवं राज्य के संयुक्त फोरम, नामत माल एवं सेवाकर परिषद् के गठन की शक्ति प्रदान की गयी हैं।
- जी.एस.टी. परिषद् सम्बन्धी प्रावधान 12 सितम्बर, 2016 से प्रभावी हुए हैं। राष्ट्रपति ने जी.एस.टी. परिषद् का गठन 15 सितम्बर, 2016 को किया है।
- केन्द्रीय वित्तमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक राज्य या केन्द्रीय शासित प्रदेश से वित्त/करारोपण प्रभारी मंत्री अथवा अन्य कोई नामित मंत्री, इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय राजस्व या वित्त प्रभारी राज्य मंत्री भी इसका सदस्य होगा।

- परिषद के कार्यों में शामिल है कि केन्द्र और राज्यों को महत्वपूर्ण विषयों; जैसे–कर की दरें, विमुक्तियाँ, प्रारम्भिक सीमाएँ, विवाद निवारण आदि पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।
- यह विशेष श्रेणी के राज्यों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों की सिफारिश करेगा। यहाँ 11 विशेष श्रेणी के राज्य हैं—अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड। कुछ या सभी राज्यों के लिए पंजीकरण, रचना, छूट आदि के लिए विशेष सीमा की सिफारिश की गई है।
- यह उस तिथि को भी संस्तुति करेगी जिससे कच्चा पेट्रोलियम, हाईस्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और हवाई ईंधन पर जी.एस.टी. आरोपित किया जायेगा।
- जी.एस.टी. परिषद् का प्रत्येक निर्णय, उपस्थित और मतदाता सदस्यों के तीन चौथाई भारित मतों से किया जायेगा। केन्द्र का मताधिकार कुल डाले गये मतों की एक तिहाई भारित संख्या है, सभी राज्य सरकारों के मतों कुल मतदान का उस सभा में दो तिहाई भारित भाग होगा।

10. स्वयं ज्ञान परीक्षण (Test Your Knowledge)

1. निम्नांकित में से कौन–सा कर जी. एस. टी. में समाहित किया गया है?
   (a) केन्द्रीय बिक्री कर
   (b) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
   (c) वैट
   (d) उपर्युक्त सभी

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. संविधान की सूची-I में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है। जिनके सम्बन्ध में ..... को विधान बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है :
   (a) केन्द्रीय सरकार
   (b) राज्य
   (c) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें, दोनों
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. सभी माल/सेवाओं की पूर्ति पर जी. एस. टी. उद्ग्रहणीय है, के अतिरिक्त :
   (a) व्यक्ति उपभोग के लिए मादक शराब
   (b) तम्बाकू
   (c) स्वास्थ्यरक्षक सेवाएं
   (d) इनमें से सभी
4. कच्चा पेट्रोलियम, हाईस्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल नाम से लोकप्रिय), प्राकृतिक गैस और हवाई ईंधन पर :
   (a) GST विकल्प लागू नहीं है।
   (b) GST परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित तिथि से जी. एस. टी. लागू होगा।
   (c) GST लागू है, परन्तु विमुक्त है।
   (d) इनमें से कोई नहीं।
5. माल और सेवा नेटवर्क के (GSTN) के कार्यों में शामिल है :
   (a) पंजीयन सुविधाकरण
   (b) रिटर्न्स को केन्द्र और राज्य अधिकारियों को अग्रसारित करना
   (c) IGST की गणना और निपटारा
   (d) उपर्युक्त सभी
6. GST कांउसिल के गठन और कार्यों सम्बन्धी नियमन संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन किया जाता है ?
   (a) 270
   (b) 279A
   (c) 246A
   (d) 269A
7. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के मध्य अन्तर।
8. विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का वर्णन करें।
9. अप्रत्यक्ष कर की प्रमुख विशेषताएँ समझाइए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रदत्त विभिन्न सूचियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

11. पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कराधान विधानों में दोहरे करारोपण की द्विभाजन (dichotomy) का समाधान जी. एस. टी. में किस प्रकार किया गया है? विवेचना कीजिए।

12. विद्यमान अप्रत्यक्ष करों की कमियों का वर्णन कीजिए जिनसे जी. एस. टी. व्यवस्था के प्रादुर्भाव की आवश्यकता हुई।

13. भारत में प्रचलित दोहरा GST मॉडल की विवेचना कीजिए।

14. ऐसे केन्द्रीय एवं राज्य करों की सूची बनाएँ जिन्हें GST में समाहित किया गया है।

11. उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (d) **2.** (a) **3.** (a) **4.** (b) **5.** (d) **6.** (b).

7. पैरा 2 का संदर्भ करें।

8. पैरा 2 का संदर्भ करें।

9. पैरा 3 का संदर्भ करें।

10. पैरा 9 का संदर्भ करें।

11. पैरा 6 का संदर्भ करें।

12. पैरा 6 का संदर्भ करें।

13. पैरा 7 का संदर्भ करें।

14. पैरा 7 का संदर्भ करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India